

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा (नालन्दा।)

[Email Id-cc.hilsa.rwd@gmail.com]

पत्र संख्या 685

हिलसा, दिनांक 13-05-2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

सेवा में,

Gudu Kumar,
Vill- Bibipur, P.O-Masarhi,
P.S-Gaurichak, Dist- Patna.

विषय:-

शीर्ष-NABARD योजनान्तर्गत Hilsa Ke Brahamsthan to shankar Ji ke
Mandir to Mahadalit tola, Chauhan tola पथ में पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्य
करने के संबंध में।

प्रसंग:-

महाशय,

इस कार्यालय के पत्रांक-415 दिनांक-16.03.2024

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि शीर्ष-NABARD योजनान्तर्गत Hilsa Ke Brahamsthan to shankar Ji ke Mandir to Mahadalit tola, Chauhan tola पथ का निर्माण कार्य आपके द्वारा पूर्ण कराया गया है। एकरारनामा के अनुसार उक्त पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य भी आपके द्वारा किया जाना है। विभागीय निदेशानुसार पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण की जाँच BRRMS Mobile App से दिनांक-12.04.2024 को की गई MIS के आधार पर उक्त पथ में पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्य की जाँच में आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं किये जाने के कारण ग्रेड "U" प्रदान किया गया है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है यथाशीघ्र के अन्दर अनुरक्षण कार्य पूर्ण कराया जाय। एवं यह स्पष्ट करें कि अधोहस्ताक्षरी एवं कनीय अभियंता के लिखित एवं मौखिक अनेकोवार निदेश दिये जाने बावजूद भी आपके द्वारा पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्य ससमय नहीं किया गया है, जिसके कारण आपके पथ का जाँच के कम में ग्रेड "U" प्रदान किया गया। अन्यथा वाध्य होकर आपके नाम डिबार करते हुए आपके एकरारनामा को विखंडित कर आपके निबंधन को काली सूची नाम में दर्ज करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।

कृप्या इस सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, हिलसा।

हिलसा / दिनांक 13-05-2024

प्रतिलिपि:-

ज्ञापांक 685

संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित। आपको आदेश दिया जाता है कि संवेदक से सम्पर्क स्थापित कर त्रुटियों का सुधार यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित करें, अगर संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं किया जाता है तो अंतिम मापी करते हुए मापी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये ताकि एकरारनामा विखंडित करते हुए कालीसूची में नाम दर्ज करने हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा की जा सके। ऐसा नहीं किये जाने पर इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हिलसा